भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4602
28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

बीआरओ कैंप में हिमस्खलन

4602. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव के पास सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) कैंप पर भारी मात्रा में हिमस्खलन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त घटना में कितने बीआरओ मजदूर मारे गए/घायल हुए/लापता हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त घटना के कारण हुई जानमाल की हानि का आकलन करने के लिए प्रभावित स्थल पर कोई केंद्रीय दल/बचाव दल भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त घटना से प्रभावित बीआरओ के मजदूरों के आश्रितों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/ के लिए घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं /किए जा रहे हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): जी, हाँ। दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2025 के मध्यरात्रि में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में ईपीसी ठेकेदार अर्थात मैसर्स एस एंड पी, वीसीआईपीएल जेवी (बीआईओ के साथ काम करने वाली एजंसी) के कैंप क्षेत्र के समीप एक भारी हिमस्खलन हुआ था। यह कैंप

बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 कि.मी. उत्तर में माना-माना पास रोड पर चेनिज 0.100 कि.मी. पर स्थित था।

(ख): सीमा सड़क संगठन ने सूचित किया है कि कैंप में मौजूद 54 कार्मिकों/मजदूरों में से 46 (घायलों सहित) मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया/ बाहर निकाल लिया गया। दुर्भाग्यवश आठ मजदूरों की मृत्यु हो गई है।

(ग) जी, हां। जोशीमठ में तैनात भारतीय सेना के जवानों के अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के कर्मियों और संसाधनों से युक्त एक संयुक्त बचाव दल, सैन्य विमानन, बीआरओ, राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा तुरंत तैनात किया गया। इस टीम का उद्देश्य खोज एवं बचाव अभियान चलाना, चिकित्सीय सहायता प्रदान करना तथा हुए नुकसान का आकलन करना था।

(घ): राज्य आपदा प्रबंधन राहत कोष के तहत ठेकेदार के प्रत्येक मृत मजदूर के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत भुगतान का एक प्रस्ताव आरंभ किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा ली गई कर्मचारी मुआवजा नीति के तहत मृतकों को बीमा दिया जाएगा।

(ङ): भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार निम्नलिखित उपायों को कार्यान्वित कर रही है।

- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत बीआरओ के कार्मिक एवं मजदूरों के लिए सुरक्षा ड्रिल का नियमित आयोजन करना।
- मौसम के बारे में समय पर अलर्ट देने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) एवं राज्य प्राधिकारों के बीच समन्वय करना।
- सभी मजदूर कैंप लोकेशनों की सुरक्षा लेखापरीक्षा करना।
- आकस्मिकता एवं सुरक्षा ड्रिल के अतिरिक्त जागरूकता कार्यशालाओं एवं सुरक्षा निर्देशों का नियमित आयोजन करना।

****